दिनांक 09.07.2024 ''स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई''

शांति नगर इंदु आई.टी. स्कूल के पीछे अवैध प्लाटिंग पर की गई कार्यवाही

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिली थी, कि शांति नगर इंदु आई.टी. स्कूल के पीछे वाले भाग में अवैध प्लाटिंग की जा रही है। धड़ल्ले से प्लाट काट कर मुरम गिराकर रोड का निर्माण किया जा रहा है। जिसका परमिशन नगर निगम भिलाई एवं टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग से नहीं लिया गया था। नगर निगम भिलाई के भवन अनुज्ञा विभाग की टीम एवं तोड़ फोड़ दल मौके पर पहुंचकर रोड निर्माण के कार्य को रूकवाया। आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा बार-बार दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति निगम क्षेत्र में प्लाट खरीदने से पहले नगर निगम भिलाई के भवन अनुज्ञा शाखा में आकर संपर्क कर लें। वह जो प्लाट खरीद रहा है, जो मकान या दुकान बनाने के लिए उसका परमिशन मिलेगा की नहीं। फिर भी लोग नगर निगम भिलाई या पटवारी कार्यालय या टाउन एण्ड कंट्री प्लांिनग जाकर यह परीक्षण नहीं करवा रहे है कि उनके खरीदा जाने वाला प्लाट सही है अथवा नही। दलाल के बहकावे में आकर प्लाट खरीद लेते है। प्लाट पर मकान या दुकान बनाने का परमिशन नहीं मिलता है, तो बाद में परेशान होते है। इसलिए प्लाट खरीदते समय सभी सचेत रहंे। कार्यवाही के दौरान भवन अनुज्ञा विभाग से सब इंजिनियर दौलत चंद्राकर, शहबाज खान, जोन 2 के राजस्व अधिकारी जे.पी.तिवारी एवं निगम के तोड़फोड़ दस्ता दल उपस्थित रहा।